अन्तिम डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

[civil procedure code, Appendix 'D' I]

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. मुकाम बालोतरा

बइजलास– पीठासीन अधिकारी नरेश सोनी

वादी :– 1. नैनूदेवी बेवा कैसाराम जाति मेगवाल

2. किशनाराम गोदपुत्र कैसाराम जाति मेगवाल निवासी थोब तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. देवाराम पुत्र पूनमाराम

2. दीपोंदेवी पत्नी सोनाराम जाति मेगवाल निवासी थोब तहसील पचपदरा जिला

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>वाद हेतु घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मुकदमा राजस्व वाद 78/2020

यह मुदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण निजानिब मुद्दई वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत , व मिनजानिब श्री अन्नाराम वकील प्रतिवादी हुक्त दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि – मौजा राजेश्वर नगर में खसरा सं. 406 रकबा 16.02 बीघा, खसरा सं. 999/400 रकबा 7.19 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 57.09 बीघा, खसरा सं. 1000/400 रकबा 14.09 बीघा, व सरहद मौजा राजपुरा में खसरा सं. 448/3634 रकबा 9.03 बीघा वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादीगण का 1/3 हिस्से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)

सहायक कलक्टर

~~रकबा 16.02 बीघा खसरा सं. 999/400 रकबा 7.19 बीघा ... रकबा 57.09~~ (एसडीओ) बालोतरा

क्रमांक/राज/वाद/ 2020/ दिनांक :–

प्रतिलिपि :– तहसीलदार पचपदरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

दिनांक 15/1/21 :- दोनो पक्षकार स्वयं उपस्थित उनके अभिभाषक उपस्थित। दोनो पक्षकारन ने आपसी राजीनामा पेश किया तथा मौखिक राजीनामानुसार दोनो पक्षकारन सहमत है। राजीनामा दोनो पक्षकारन को पढ़कर सुनाया गया। बाद जांच राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारन के हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान कराए गए

देवाराम

ज्ञानी चंद्रदेवी

विद्यारतन

Selected by me

दीपोती

IDb by me

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (S.D.O)

बालोतरा

राजस्व वाद सं. 78 /2020

वादीगण नैनुदेवी वगैरा

बनाम

प्रतिवादीगण देवाराम वगैरा

सुनवाई दिनांक 14/01/2021

आपसी राजीनामा

मान्यवरजी,

निवेदन पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की और से निम्न प्रकार है –

1. यह है कि प्रकरण के पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना एवं मौजिज लोगो की समझाईश से राजीनामा हो गया है। पक्षकारान् आपसी सहमति से भूमि मौजा राजेश्वर नगर में खसरा सं. 406 रकबा 16.02 बीघा, खसरा सं. 999/400 रकबा 7.19 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 57.09 बीघा, खसरा सं. 1000/400 रकबा 14.09 बीघा, व सरहद मौजा राजपुरा में खसरा सं. 448/364 रकबा 9.03 बीघा वादीगण का 1/3 हिस्सा देना आपसी सहमति से तय किया है।
2. यह है कि माफिक इस्तदुआ वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर डिकी किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज नही है।

अतः माफिक इस्तदुआ वाद पत्र स्वीकार कर डिकी किया जावे। पक्षकारान् को खर्चे बाबत एतराज नही है।

इति दिनांक 14/1/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

देवाराम

अ. नि. सीपादेवी

अ. नि. नैनुदेवी

Identify किशनाराम

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 78/2020

वादी :– 1. नैनूदेवी बेवा कैसाराम जाति मेगवाल
2. किशनाराम गोदपुत्र कैसाराम जाति मेगवाल निवासी थोब तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. देवाराम पुत्र पूनमाराम
2. दीपोंदेवी पत्नी सोनाराम जाति मेगवाल निवासी थोब तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

वाद हेतु घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री भूपेन्द्र गहलोत वकील वादी
श्री अन्नाराम वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 14.01.2021

वादीगण की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा राजेश्वर नगर में कृषि भूमि खसरा सं. 406 रकबा 16.02 बीघा, खसरा सं. 999/400 रकबा 7.19 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 57.09 बीघा, खसरा सं. 1000/400 रकबा 14.09 बीघा, व सरहद मौजा राजपुरा में खसरा सं. 448/364 रकबा 9.03 बीघा वादीगण प्रतिवादी सं 1 व 2 के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व पैतृक कृषि भूमि है । वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी पूनमाराम पुत्र हुकमाराम के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व पैतृक कृषी भूमि रही है। वादीगण के पिता कैसाराम की मृत्यु विवाह के पश्चात पूनमाराम के जीवनकाल में ही हो गयी, जिससे पूनमाराम के फौतगी म्यूटेशंन में वादीगण के पिता केसाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद होने से रह गया वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पूनमाराम के हिस्से की भूमि में 1/3 हिस्सा है तथा शेष 1/3 –1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01व 02 का है । वादग्रस्त कृषि भूमियों में 1/3 हिस्से की भूमि में टीनेन्ट घोषित किया जाने एवं रेकर्ड में अवश्यक सुधर की प्रविष्टियां अंकित करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक 10.09.2020 को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के वकील उपस्थित जबाब पेश किया गया । दिनांक 14.01.2021 को पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना एवं मौजिज लोगों की समझाईश से राजीनामा हो गया है। पक्षकारान आपसी सहमति से उक्त आराजी भूमि वादीगण का 1/3 हिस्सा देना आपसी सहमति से तय किया है । इस माफिक इस्तदुआ वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

हमने दोनो पक्षों की बहस को सुना व पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजात की प्रमाणित जमाबंदी 2073–76 राजेश्वर नगर, जामंबदी 2070–73 राजपुरा, व आंशिक नक्शा किस्तवार, गोदनामा वादी संख्या –2 की छायाप्रति, का व पक्षकारन का आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अतः पक्षकारन के मध्य राजीनामा हो जाने से वादीगण का वाद आपसी राजीनामा के आधार पर स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण मौजा राजेश्वर नगर में खसरा सं. 406 रकबा 16.02 बीघा, खसरा सं. 999/400 रकबा 7.19 बीघा, खसरा सं. 319 रकबा 57.09 बीघा, खसरा सं. 1000/400 रकबा 14.09 बीघा, व सरहद मौजा राजपुरा में खसरा सं. 448/364 रकबा 9.03 बीघा वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद दर्ज करे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो । तस्दीक सुदा आपसी राजीनामा निर्णय का अंग शुमार रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner